पत्रांक–6664 / आयु0कर,उत्तराखण्ड / धारा–57 अनु0 / वाणि0कर / 2016–17 / दे0दून

कार्यालयः– आयुक्त कर, उत्तराखण्ड
(धारा–57 अनुभाग)
देहरादूनः दिनांक : 30 मार्च, 2017

प्रार्थना पत्र संख्या	–	08 / 2016–17
द्वारा	–	सर्वश्री लखानी फुटवियर प्रा0लि0, प्लॉट नं0 11, सैक्टर–11, आई0आई0ई0 सिडकुल, हरिद्वार। टिन नं0– 05009598466
उपस्थिति	–	श्री एस0के0 गुप्ता, अधिवक्ता फर्म
निर्णय का दिनांक	–	30.03.2017

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा–57 के अन्तर्गत निर्णय

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा–57 के अन्तर्गत यह प्रार्थना पत्र सर्वश्री लखानी फुटवियर प्रा0लि0, प्लॉट नं0 11, सैक्टर–11, आई0आई0ई0 सिडकुल, हरिद्वार द्वारा प्रस्तुत किया गया है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में निम्न प्रकार पूछे गये प्रश्न का उत्तर स्पष्ट किये जाने की अपेक्षा की गयी है:–

''कम्पनी द्वारा निर्मित फुटवेयर, जिसकी बिक्री प्रान्त के भीतर नियुक्त एजेन्ट के माध्यम से की जानी है, उस स्थिति में कम्पनी द्वारा संबंधित एजेन्ट को किये गये प्रान्तीय स्टॉक ट्रांसफर की धनराशि पर अपीलार्थी कम्पनी को कोई प्रान्तीय कर दायित्व रहेगा अथवा नहीं?''

धारा–57 के अन्तर्गत दिये गये इस प्रार्थना पत्र पर ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्यपालक / प्रवर्तन) वाणिज्य कर, हरिद्वार सम्भाग, हरिद्वार का मत प्राप्त किया गया। ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक / प्रवर्तन) द्वारा प्रेषित आख्या में उल्लेख किया गया है कि व्यापारी द्वारा प्रान्त भीतर नियुक्त एजेन्ट व्यापारी से भिन्न होने की दशा में उनको (नियुक्त एजेन्ट) को किया गया ट्रांसफर विक्रय माना जायेगा तथा इस पर अपीलार्थी कम्पनी पर विधिनुसार प्रान्तीय करदेयता बनेगी।

धारा–57 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु प्रेषित नोटिस के अनुपालन में अधिवक्ता फर्म श्री एस0के0 गुप्ता, अधिवक्ता फर्म ने उपस्थित होकर अवगत कराया गया कि सर्वश्री लखानी फुटवियर प्रा0लि0, प्लॉट नं0 11, सैक्टर–11, आई0आई0ई0 सिडकुल, हरिद्वार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में ही स्थित अपने एजेन्ट के माध्यम से स्वनिर्मित माल की बिक्री की जायेगी जिस पर सम्बन्धित एजेन्ट द्वारा कर जमा किया जायेगा। आवेदक द्वारा पूछे गये प्रश्न का उत्तर दिये जाने से पूर्व उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा–2(40) के अन्तर्गत निहित विक्रय की परिभाषा का स्पष्टीकरण 3 अवलोकनीय है जो निम्न प्रकार है:–

स्पष्टीकरण 3: इस अधिनियम में दी गयी किसी बात के होते हुये भी इस अधिनियम के प्रयोजन हेतु निम्नलिखित दशाओं में दो स्वतंत्र विक्रय या क्रय हुआ समझा जायेगा–

(क) जब माल कर्ता से उसके विक्रय अभिकर्ता को, और विक्रय अभिकर्ता से उसके क्रेता को अन्तरित किया जाय; या

(ख) जब माल विक्रेता से क्रय अभिकर्ता को, और क्रय अभिकर्ता से उसके कर्ता को अन्तरित किया जाय, यदि यह पाया जाय कि अभिकर्ता द्वारा उपर्युक्त मामलों में से किसी एक में–

(i) माल का विक्रय एक दर पर किया गया है और अपने कर्ता को विक्रय आगम दूसरी दर पर आगे बढ़ाया गया है; या

(ii) माल का क्रय एक दर पर किया गया है और अपने कर्ता को दूसरी दर पर आगे बढ़ाया गया है; या

(iii) अपने कर्ता की ओर से किये गये विक्रय या क्रय में उसके द्वारा किये गये सम्पूर्ण संग्रहों या कटौतियों का लेखा अपने कर्ता को नहीं दिया गया है; या

क्रमशः पेज–2 पर

(iv) किसी काल्पनिक या अविद्यमान कर्ता के लिये कार्य किया गया है;

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा–2(40) के अन्तर्गत निहित विक्रय की परिभाषा के स्पष्टीकरण 3 के सन्दर्भ में आवेदक द्वारा पूछे गये प्रश्न का परीक्षण किया गया। प्रश्नगत मामले में आवेदक द्वारा न तो प्रार्थना पत्र में एवं न ही सुनवाई के समय यह स्पष्ट किया गया है कि उनके तथा उनके एजेन्ट के मध्य क्या एग्रीमेंट हुआ है, उक्त एग्रीमेंट की शर्तें क्या हैं, जिस दर पर आवेदक द्वारा एजेन्ट को माल का प्रेषण किया जाना है क्या उसी दर पर एजेन्ट द्वारा माल का विक्रय क्रेता को किया जायेगा अथवा किसी अन्य दर पर किया जायेगा, एजेन्ट द्वारा कर्ता से प्राप्त माल के विक्रय पर किस प्रकार कमीशन प्राप्त की जायेगी अथवा कर्ता की ओर से किये गये विक्रय में से किस प्रकार कटौती की जायेगी। इसके अतिरिक्त कोई एजेन्ट नियुक्त कर लिया गया है अथवा नहीं जैसी स्थिति भी आवेदक द्वारा स्पष्ट नहीं की गयी है। इस प्रकार उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में धारा–57 के अन्तर्गत आवेदक द्वारा पूछे गये प्रश्न का उत्तर दिया जाना सम्भव नहीं है। अतः उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा–2(40) के अन्तर्गत दी गयी विक्रय की परिभाषा एवं उक्त के स्पष्टीकरण 3 में निहित शर्तों के परिप्रेक्ष्य में आवेदक स्वयं उनके एवं प्रान्त के अन्दर नियुक्त एजेन्ट के मध्य हुये संव्यवहार की प्रकृति अर्थात आवेदक एवं उनके एजेन्ट के मध्य हुआ संव्यवहार विक्रय की श्रेणी के अन्तर्गत आता है अथवा नहीं, निर्धारित कर सकते हैं।

उपरोक्तानुसार आवेदनकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जा रहा है।

इस निर्णय की प्रतिलिपि आवेदनकर्ता तथा सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु पृथक–पृथक भेजी जाए।

Ranvir

(रणवीर सिंह चौहान)
आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड।

6664

पृ0प0सं0 /दिनांक : उक्त ।

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– सचिव वित्त, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, वैभव पैलेस, इंदिरानगर, देहरादून।
3– एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्यकर, देहरादून/हरिद्वार/कशीपुर/रूद्रपुर जोन।
4– समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0/प्रव0) वाणिज्य कर, देहरादून/हरिद्वार/रूड़की/रूद्रपुर/हल्द्वानी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे उक्त की अतिरिक्त प्रतियाँ कराकर अपने अधीनस्थ अधिकारियों/बार एसोसिएशान के पदाधिकारियों/व्यापारी संगठनों के अध्यक्ष/सचिव को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
5– ज्वाइन्ट कमिश्नर (अपील) वाणिज्य कर, देहरादून/हरिद्वार/रूद्रपुर/हल्द्वानी।
6– श्री अनुराग मिश्रा डिप्टी कमिश्नर वाणिज्य कर एवं web Information Officer को विभागीय Website पर Update करने हेतु।
7– डिप्टी कमिश्नर(क0नि0)–तृतीय, वाणिज्य कर, हरिद्वार।
8– नेशनल लॉ हाउस बी–2 मार्डन प्लाजा बिल्डिंग अम्बेड़कर रोड, गाजियाबाद।
9– नेशनल लॉ एण्ड मैनेजमेन्ट हाउस–15/5 राजनगर, गाजियाबाद।
10– लॉ पब्लिकेशन व्यापार कर भवन, कलैक्ट्रेट कम्पाउण्ड, राजनगर, गाजियाबाद।
11– कार्यालय अधीक्षक की केन्द्रीय गार्ड फाईल हेतु।
12– विधि अनुभाग की गार्ड फाईल हेतु।

Ranvir

आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड।

d/c